छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, दिनांक 5 दिसंबर, 2019

क्रमांक एफ 20–87/11/6 : राज्य शासन की "औद्योगिक नीति 2019–24" के परिशिष्ट– 2 में "उच्च प्राथमिकता उद्योगों की सूची" एवं परिशिष्ट– 3 में "प्राथमिकता उद्योगों की सूची" दी गई है। उच्च प्राथमिकता एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को सामान्य उद्योगों की अपेक्षा अधिक अनुदान, छूट एवं रियायतों की पात्रता है, अतः राज्य शासन यह आवश्यक समझता है कि उच्च प्राथमिकता एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों में उच्च तकनीक का समावेश हो, पर्यावरण हित हो व अपेक्षाकृत अधिक रोजगार हो। अतः राज्य शासन एतद् द्वारा उच्च प्राथमिकता एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों की पात्रता हेतु प्लांट एवं मशीनरी मद में निवेश की न्यूनतम सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

1.1 उच्च प्राथमिकता उद्योग (औद्योगिक नीति 2019–24 का परिशिष्ट–2) –

क्र.	विवरण	प्लांट एवं मशीनरी मद में पूंजी निवेश की न्यूनतम निर्धारित सीमा (राशि रू. लाख में)
1.	हर्बल, वनौषधि तथा लघु वनोपज पर आधारित उद्योग	60.00
2.	आटोमोबाईल, आटो कंपोनेन्ट्स	150.00
3.	फार्मास्यूटिकल उद्योग	100.00
4.	व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता उत्पाद	250.00
5.	रोबोटिक्स तकनीक के उद्योग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी के उद्योग, एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्योग	100.00
6.	जैव प्रौद्योगिकी एवं नैनो प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद	100.00
7.	टेक्सटाईल उद्योग (स्पिनिंग, वीविंग, पावरलूम एवं फेब्रिक्स व अन्य प्रक्रिया)	140.00
8.	रेल्वे, अंतरिक्ष, रक्षा संस्थानों/विभागों, दूरसंचार एवं विमानन कंपनियों को आपूर्ति किये जाने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स	140.00
9.	निजी क्षेत्र में विदेशी तकनीक से विदेशी कम्पनी एवं भारतीय कम्पनी के संयुक्त उपक्रम में स्थापित होने वाले उद्योग।	200.00
10.	निर्यातक उद्योग	100.00

11.	जैव ईंधन / एथेनॉल हेतु रिफाइनरी (मार्कफेड से खरीफ फसल के उपार्जित अतिरिक्त धान क्रय किये जाने की शर्त पर तथा सहकारी शक्कर कारखानों आधारित)	15000.00
12.	इलेक्ट्रिक दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन एवं उनके बैटरी का निर्माण	50.00
13.	इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन के उपकरण निर्माण	50.00
14.	एयरोस्पेस, एयरक्राफ्ट रिपेयर (एम आर ओ)	125.00
15.	राज्य में उत्पादित फल, फूल, सब्जी एवं अन्य हार्टीकल्चर उत्पाद प्रसंस्करण उद्योग।	25.00

1.2 प्राथमिकता उद्योग (औद्योगिक नीति 2019–24 का परिशिष्ट–3) –

(अ) वर्गीकरण के आधार पर –

1.	साइकिल एवं साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद / उपकरण / स्पेयर्स	70.00
2.	प्लांट / मशीनरी / इंजीनियरिंग उत्पाद एवं इनके स्पेयर्स	125.00
3.	नॉन फेरस मेटल पर आधारित डाउन स्ट्रीम उत्पाद	250.00
4.	एल्युमिनियम पर आधारित डाऊन स्ट्रीम उत्पाद	250.00
5.	भारत सरकार द्वारा परिभाषित खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि पर आधारित उद्योग (राईस मिल, पेडी परबायलिंग एण्ड क्लीनिंग, हालर मिल, मुरमुरा मिल तथा राईस ब्रान साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट एवं खाद्य तेल की रिफाइनिंग (स्वतंत्र इकाई) / रिफाईनरी को छोड़कर)	70.00
6.	ब्रांडेड डेयरी उत्पाद (मिल्क चिलिंग सहित)	140.00
7.	नवीन एवं नवकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट एवं मशीनरी तथा उपकरण ।	120.00
8.	विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण हेतु लगने वाले प्लांट एवं मशीनरी तथा उपकरण	250.00
9.	जेम्स एवं ज्वेलरी	70.00
10.	मेडिकल एवं लेबोरेटरी इक्यूपमेंट	70.00
11.	स्पोर्टस गुड्स	70.00
12.	कोयले से द्रव्य ईंधन / गैस / पेट्रोलियम उत्पाद	70.00
13.	जैविक खाद, जैविक कीटनाशक एवं बोनमील का निर्माण	50.00

(ब) उत्पाद आधारित –

1.	मोल्डेड फर्नीचर, कंटेनर्स एवं पी0व्ही0सी0 पाईप्स एवं फिटिंग, हाउस होल्ड प्लास्टिक के आयटम	125.00
2.	ट्रान्समीशन लाईन टावर / मोबाईल टावर एवं उनके स्पेयर्स पार्ट्स / उपकरण	250.00
3.	स्व–चालित कृषि यंत्र, ट्रेक्टर आधारित एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स / एग्रीकल्चर इम्पलीमेंट्स	70.00

4.	बांस पर आधारित उद्योग (जिसमें बांस मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो)	25.00
5.	लाख पर आधारित उद्योग (जिसमें लाख मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो)	25.00
6.	फ्लाई एश उत्पाद (सीमेंट को छोड़कर)	25.00
7.	रेडीमेट गारमेन्ट्स (जिनमें यंत्र एवं संयंत्र में न्यूनतम 25 लाख रूपयों का पूंजी निवेश हो)	25.00
8.	सिंगल सुपर फास्फेट एवं समस्त प्रकार के फर्टीलाईजर्स	250.00
9.	वैगन कोच स्पेयर्स एवं फिटिंग	150.00
10.	कटिंग टूल्स डाईज एवं फिक्चर्स	70.00
11.	फर्शी पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग, ग्रेनाईट पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग, मार्बल पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग, अन्य मिनरल राक की कटिंग एवं पालिशिंग तथा टाईल्स निर्माण	25.00
12.	पोलिस्टर स्टेपल फाईबर	100.00
13.	ग्रामोद्योग इकाईयां यथा पेन निर्माण, झालर निर्माण, अगरबत्ती, दोना पत्तल निर्माण, पशु आहार, साबुन एवं वाशिंग पावडर, फिनाईल, स्कूल बैग, सी.एफ.एल. बल्ब, स्टील विण्डो/ डोर/ रोलिंग शटर्स एवं अन्य जिनमें प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम पूंजी निवेश 10 लाख रूपये हो।	10.00
14.	सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का उत्पादन (प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम पूंजी निवेश रूपये 10 लाख)	10.00
15.	वूडन सिजनिंग एवं केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट (प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम पूंजी निवेश रूपये 25 लाख हो)	25.00
16.	हैंड पंप एवं स्पेयर्स का निर्माण	70.00
17.	सबमर्सिबल पंप एवं स्पेयर्स का निर्माण	70.00
18.	इलेक्ट्रिक मोटर एवं स्पेयर्स का निर्माण	70.00
19.	ग्रेन साइलो	125.00
20.	प्रीफेब्रीकेटेड बिल्डिंग सामग्री	125.00
21.	पेन्ट/डिस्टेम्पर	125.00
22.	पोहा, मुरमुरा	100.00
23.	नान प्लास्टिक बैग्स	25.00

(2) उच्च प्राथमिकता एवं प्राथमिकता उद्योगों की सूची के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों में प्लांट एवं मशीनरी मद में पूंजी निवेश की निर्धारित न्यूनतम सीमा या उससे अधिक होने पर ही क्रमशः उच्च प्राथमिकता उद्योग एवं प्राथमिकता उद्योगों हेतु निर्धारित औद्योगिक निवेश आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त होंगे ।

उच्च प्राथमिकता एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों में प्लांट एवं मशीनरी मद में निर्धारित न्यूनतम पूंजी निवेश न होने पर पात्र उद्योगों को पात्रतानुसार सामान्य उद्योगों की भांति अनुदान/छूट/रियायतें प्राप्त होगी ।

(3) यदि किसी उद्योग द्वारा प्राथमिकता श्रेणी के उत्पाद के साथ अन्य किसी श्रेणी के उत्पाद का निर्माण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे निम्न उत्पाद श्रेणी (दोनों में से जो निम्न हो) के अनुसार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी।

(4) उच्च प्राथमिकता उद्योग अथवा प्राथमिकता उद्योगों हेतु निर्धारित औद्योगिक निवेश आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त किये जाने हेतु उच्च प्राथमिकता अथवा प्राथमिकता उद्योग मान्यता प्रमाण पत्र उद्योग संचालनालय से प्राप्त करना होगा, इस हेतु औद्योगिक इकाईयों को उद्यम आंकांक्षा/IEM की दिनांक के पश्चात् एवं वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से एक वर्ष के भीतर ऑनलाईन आवेदन करना आवश्यक होगा।

(5) औद्योगिक नीति 2019–24 के अन्तर्गत उच्च प्राथमिकता उद्योग अथवा प्राथमिकता उद्योग मान्यता के संबंध में उद्योग संचालनालय के किसी आदेश के विरूद्ध राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के समक्ष 45 दिवस के भीतर अपील की जा सकेगी। अपीलीय अधिकारी को अपील करने में हुए विलंब तथा आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलंब एवं किसी अन्य बिन्दु पर औद्योगिक नीति 2019–24 के उद्देश्यों के अधीन प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर विचार कर निर्णय लेने का अधिकार होगा । अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क रूपये 1000 एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में रूपये 2000 (यथालागू देय कर अतिरिक्त) का भुगतान करने पर ही अपील ग्राह्य होगी । अपील शुल्क का भुगतान चालान/ई–चालान के माध्यम से विभागीय प्राप्ति शीर्ष में करना होगा। अनुसूचित जाति/ जनजाति के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा ।

(6) राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को यह अधिकार होगा कि पूंजी निवेश की उपरोक्त सीमा में आवश्यकतानुसार समय–समय पर संशोधन करें।

(7) उपरोक्त अधिसूचना के क्रियान्वयन हेतु औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–1 में अंकित परिभाषाएं लागू होंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

:: अधिसूचना ::

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक सितम्बर, 2021

क्रमांक एफ 20-87/2019/11/6 : चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 एवं क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 22 मई 2021 से औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-2, उच्च प्राथमिकता उद्योगों की सूची तथा परिशिष्ट-3, प्राथमिकता उद्योगों की सूची में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05 दिसम्बर 2019 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात् :-

संशोधन

(एक) समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 दिसंबर, 2019 की कंडिका क्र. 1.1 उच्च प्राथमिकता उद्योग (औद्योगिक नीति 2019-24 का परिशिष्ट-2) की तालिका में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं :-

(1) अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक 7 को अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 के माध्यम से हुये संशोधन के आधार पर दिनांक 22 मई, 2021 से निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है।

(2) अधिसूचना तालिका में बिन्दु क्रमांक 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एवं 27 पर अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 22 मई, 2021 के माध्यम से हुये संशोधन के आधार पर दिनांक 22 मई, 2021 निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-

1.1 उच्च प्राथमिकता उद्योग (औद्योगिक नीति 2019-24 का परिशिष्ट-2) -

क्र.	विवरण	प्लांट एवं मशीनरी मद में पूंजी निवेश की न्यूनतम निर्धारित सीमा (राशि रू. लाख में)
7.	टेक्सटाईल उद्योग (स्पिनिंग, वीविंग, पावरलूम, फेब्रिक्स एवं रेडिमेड गारमेंट्स व अन्य प्रक्रिया) (नॉन वोवन फेब्रिक बैग्स को छोड़कर)	140.00
16.	भारत सरकार से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इकाईयां (प्लांट एवं मशीनरी मद में पूंजी निवेश की कोई न्यूनतम सीमा नहीं होगी)	निरंक

18.	मेडिकल एवं लेबोरेटरी इक्यूपमेंट	70.00
19.	मेडिकल ग्रेड आक्सीजन गैस (लिक्विड एवं गैसीयस माध्यम से)	100.00
20.	आक्सीजन गैस सिलेण्डर	70.00
21.	आक्सीजन कन्सनट्रेटर	50.00
22.	क्रायोजेनिक गैस टेंकर	70.00
23.	फेस मास्क, नॉन रिब्रिदर मास्क, आक्सीजन फ्लो मीटर, नेसल केन्यूला आदि	50.00
24.	नॉन इन्वेसीव वेन्टिलेटर, इन्वेसीव वेन्टिलेटर,	200.00
25.	सर्जिकल दस्ताने, पी.पी.ई. किट, ओवर ऑल बॉडी प्रोटेक्टर	200.00
26.	कोविड व अन्य संक्रामक बीमारियों के टेस्ट में उपयोग में लाये जाने वाले उपकरण, फॉर्मास्युटिकल्स, बीमारियों से संबंधित स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी उपकरण एवं दवाएं।	500.00
27.	टीका बनाने के उपकरण, RT-PCR Test, True-nat Test, Antigen Test, के लिए आवश्यक Reagents.	500.00

(दो) समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 दिसंबर, 2019 की कंडिका क्र. 1.2 प्राथमिकता उद्योग (औद्योगिक नीति 2019-24 का परिशिष्ट-3) (अ) वर्गीकरण के आधार पर, की तालिका के बिन्दु क्रमांक 10, मेडिकल एवं लेबोरेटरी इक्यूपमेंट को अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 22 मई, 2021 से विलोपित किया जाता है।

(तीन) समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 दिसंबर, 2019 की कंडिका क्र. (4) में विद्यमान प्रावधान के पश्चात् द्वितीय पैरा के तहत् निम्नानुसार प्रावधान अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 से जोड़ा जाता है :-

"भारत सरकार से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इकाईयों को उच्च प्राथमिकता उद्योग की श्रेणी के तहत् औद्योगिक निवेश आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त किये जाने हेतु पृथक से उच्च प्राथमिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी इकाईयों को औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट 6.21 के अधीन उच्च प्राथमिकता उद्योग की भांति औद्योगिक निवेश आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त होंगे।"

समसंख्यक अधिसूचना की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा.क्र. एफ 20-87/2019/11/6 नवा रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर, 2021

प्रतिलिपिः-

1. संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, उद्योग भवन, रायपुर ।
2. प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी, उद्योग भवन, रायपुर ।
3. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध करायें।
4. समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ....(छ.ग.)

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग